संख्या-16/2022/आई/260610/003-41-1002-001-1-2021-Part-1

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में ट्रैवेल-ट्रेड गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रावधानित धनराशि की अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-6715/15-1-838(25) /ट्रै0ट्रे0/2021, दिनांक 14.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ट्रैवेल-ट्रेड गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रावधानित धनराशि की अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	मद/उपशीर्षक	प्रावधानित धनराशि	अवमुक्त की गयी धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1.	लेखा शीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-12-मेले/महोत्सवों के आयोजन हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2000.00	1000.00	665.00
2.	लेखा शीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-मगहर महोत्सव का आयोजन-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)	40.00	13.33	26.67
3.	लेखा शीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय- 06-वाजिद अली शाह महोत्सव का आयोजन-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)	35.00	11.66	23.34
4.	लेखा शीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09- जनपद प्रतापगढ़ में घुइसरनाथ धाम में राष्ट्रीय एकता महोत्सव का आयोजन-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)	15.00	05.00	10.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) पूर्व में निवर्तन पर रखी गयी धनराशि एवं वर्तमान में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का सक्षम स्तर से अनुमोदित उपयोगिता प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(8) इस मद से आयोजित जनपद स्तरीय महोत्सव में भारतीय संस्कृति, शिल्पकला, परिधान, लोक संगीत, खानपान, साहित्य एवं पर्यटन को प्रोत्साहन दिये जाने संबंधी कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे तथा उक्त कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण के समय विषय की विधिमान्यता, सार्वजनिक एवं सामाजिक अनुमन्यता एवं शीलता का विशेष ध्यान रखा जायेगा तथा अधोमानक स्तर के कार्यक्रम नहीं सम्मिलित किये जायेंगे।

(9) महोत्सव में अन्य विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुये विकास प्रदशर्नी व मेले जैसे– कृषि मेला, शिल्प मेला, खादी ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित प्रदर्शनी एवं स्टाल लगाये जायेंगे तथा उनका व्यापक प्रचार व प्रसार किया जायेगा।

(10) सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की सहायता से एक जनपद एक उत्पाद योजना के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों से संबंधित उत्पादों की प्रदर्शनी लगायी जायेगी।

(11) महोत्सव में सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुये उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं के युवाओं, विद्यार्थियों , महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

(12) महोत्सव में कृषि ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिये लाभप्रद कायर्क्रमों को सम्मिलित किये जाने के लक्ष्य से किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा एवं कौशल विकास के कार्यक्रमों को अधिकाधिक मात्रा में शामिल किया जायेगा। महोत्सव में जनपद के इतिहास एवं संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां लगायी जायेंगी।

(13) स्वीकृति धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 3452808000500 (मगहर महोत्सव का आयोजन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452808000500 मगहर महोत्सव का आयोजन	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	26,67,000 (रुपये छब्बीस लाख सड़सठ हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 3452808000600 (लखनऊ में वाजिद अली शाह महोत्सव का आयोजन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452808000600 लखनऊ में वाजिद अली शाह महोत्सव का आयोजन	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	23,34,000 (रुपये तेईस लाख चौंतीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 3452808000900 (जनपद प्रतापगढ़ में घुइसरनाथधाम में राष्ट्रीय एकता महोत्सव का आयोजन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

1	044	3452808000900 जनपद प्रतापगढ़ में घुइसरनाथधाम में राष्ट्रीय एकता महोत्सव का आयोजन	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 3452808001200 (मेले / महोत्सवों के आयोजन हेतु)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452808001200 मेले / महोत्सवों के आयोजन हेतु	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	6,65,00,000 (रुपये छः करोड़ पैंसठ लाख मात्र)

महायोग	7,25,01,000 (रुपये सात करोड़ पच्चीस लाख एक हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-227-X-2022-23, दिनांक: 02 जनवरी, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-16/2022/आई/260610/003-41-1002-001-1-2021-Part-1, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।